

FORM No. III

Crim - 1

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

अज अदालत

अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर (राज०)

अशोक कुमार सिंघल

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी धौलपुर

किस्म मुकदमा प्रथम अपील, सूचना का अधिकार  
अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर 16/2019

RCMS No 2019/00023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
20-02-2020	<p>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी धौलपुर से पत्र क्रमांक विविध/18/2170 दिनांक 8.7.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री अशोक सिंघल को उनके पत्र क्रमांक 2105 दिनांक 21.6.2019 के द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या 1 व 2 की सूचना आवेदक के द्वारा दिये गये पते पर भिजवा दी गई है जिसके पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है।</p> <p>इस प्रकार अपीलान्ट को सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।</p>	

नरेन्द्र केशव वर्मा  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
धौलपुर